122 18 रुग्ण सीपीएसई की सूची (बीआरपीएसई की) से कायाकल्पित केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) को हटाने का मुद्दा

बीआरपीएसई को संदर्भित 'रुग्ण और घाटे में चल रहे सीपीएसई' के निष्पादन की निगरानी 'रुग्ण और घाटे में चल रहे सीपीएसई' के स्पष्टीकरण के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) कार्यबल द्वारा तब तक की जाती है, जब तक उसे कायाकल्पित सीपीएसई के रूप में घोषित नहीं कर दिया जाता है। कुछ ऐसे सीपीएसई भी हैं, जिन्होंने बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए पुनरुद्धार पैकेजों के कार्यान्वयन के पश्चात अपना कायाकल्प कर लिया है और लाभ अर्जित करने लगे हैं।

2. बीआरपीएसई ने रुग्ण सीपीएसई को कायाकल्पित सीपीएसई के रूप में घोषित करने के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार रुग्ण और घाटे में चल रहे सीपीएसई को कायाकल्पित सीपीएसई के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:–

(i) कोई भी कंपनी जिसने पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के पश्चात पूर्ववर्ती 3 लेखांकन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया है और कंपनी का निबल मूल्य सकारात्मक हो गया है।

(ii) 'कंपनी' से एक ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो बीआरपीएसई के गठन संबंधी संकल्प में दी गई परिभाषा के अनुसार बीआरपीएसई के रुग्ण सीपीएसई की सूची में शामिल है।

(iii) निबल मूल्य की परिभाषा पूर्वावधि के समायोजनों और असाधारण मदों जैसे परिसंपत्तियों की बिक्री आदि से पहले और साथ ही रियायत , छूट, सब्सिडी, बट्टे खाते में डाली गई राशियों और सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों, क्रेडिटरों आदि से प्राप्त अनुदानों को छोड़कर कर पश्चात लाभ के रूप में की जाती है। तथापि सरकार द्वारा लागू की गई योजना के भाग के रूप में सीपीएसई द्वारा प्राप्त सब्सिडी, यदि कोई है, पर लाभ की संगणना के लिए विचार किया जाएगा।

(iv) सूची से नाम हटाने की कार्रवाई डीपीई द्वारा वार्षिक रूप से तैयार किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण अथवा ऐसी कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना, जो भी पहले प्राप्त हो, के अनुसार की जाएगी।

(v) कंपनी को कंपनी के तीन वार्षिक रेपोर्टों के साथ 11 (iii) पर उल्लिखित पुनः घोषित लाभ एव हानी लेखा प्रस्तुत करना चाहिए।

(vi) निबल मूल्य के निर्धारण के लिए कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक अर्हताओं, जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की तुलना में भिन्न वित्तीय निष्पादन दर्शाती हैं, पर भी विचार किया जाएगा।

3. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के संज्ञान में लाएं।

4. यह मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. डीपीई/13(15)/10– वित्त, दिनांक : 20.01.2011)

*****